Form No. III
फर्द–अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

अरविन्द व्यास बनाम **लोक सूचना अधिकारी, सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :- धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

किस्म मुकदमा अपील (सूचना का अधिकार) नं0 **022** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.2024	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस प्राधिकरण को प्रथम अपील अपीलार्थी अरविन्द व्यास पिता शम्भुलाल व्यास निवासी अशोक नगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मोबाईल 94137 85027) से प्राप्त हुई है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील अधिनियम धारा 6(01) के तहत **लोक सूचना अधिकारी, आयुक्त, सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़** को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक **05.02.2024** के संबंध में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में अवगत कराया गया है कि विहित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्र के संबंध में अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी को **लोक सूचना अधिकारी, आयुक्त, सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़** द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। **लोक सूचना अधिकारी, आयुक्त, सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़** द्वारा अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 की धारा 6(1) प्रस्तुत आवेदन का निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति प्रथम अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्रथम अपील आवेदन पत्र एवं भारतीय डाक आदेश संख्या **63F756455** की छाया प्रति एवं **लोक सूचना अधिकारी, आयुक्त, सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़** को आवेदन प्रेषित किये जाने की पोस्टल रसीद **RR383327196IN** मय आवेदन पत्र दिनांक 05.02.2024 की छाया प्रति के प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रथम अपील आवेदन पत्र हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्रहण किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील इन निर्देशों के साथ निस्तारित किया जाता है कि अपीलार्थी अध **लोक सूचना अधिकारी, आयुक्त, सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़** को अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र जो कि जरिये रजिस्टर्ड पत्र पोस्टल रसीद संख्या **RR383327196IN** दिनांक 05.02.2024 से प्रेषित किया गया की छाया प्रति के साथ हस्ताक्षर युक्त नवीन प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत करावें। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील आवेदन ग्राह्यता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से निस्तारित किया जाता है। अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर अभिलेख में उक्तानुसार अंकन किया जावें। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official -S/D- (आलोक रंजन) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 01.04.2024	